

जानकारी रखें

जानकारी रखें
मदद पाएँ
कार्टवाई करें

**hate
crime**
.com.au

नफ़रत करना कभी सही नहीं होता।

नीचे दी गई चीज़ें कभी भी स्वीकार्य नहीं होती:

- आपकी नसल की वजह से टरेन में परेशान किया जाना
- अपने पति द्वारा मारा जाना क्योंकि आप समलैंगिक हैं
- सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न की धमकी दिए जाना क्योंकि आप एक महिला हैं

ये सभी अनुभव कष्टकारक होते हैं। ये सभी अनुभव NSW में नफ़रत वाले अपराध हो सकते हैं।

नफ़रत अपराध क्या है?

नफ़रत अपराध होता है:

- एक ऐसा कार्य या ऐसे बोल जो आपराधिक कानून तोड़ते हैं
- जो आपके प्रति पूरवाग्रह या घृणा से प्रेरित है क्योंकि आप किसी खास वर्ग से हैं
- जब आपकी जात, धर्म, जातीय/राष्ट्रीय मूल, यौन रुझान, अक्षमता, लैंगिक पहचान, लिंग, आयु, एचआईवी/एड्स स्थिति, इंटरसेक्स स्थिति या आपके बेघर होने को लेकर पक्षपात या नफ़रत शामिल होती है

पक्षपात या नफ़रत से प्रेरित कोई भी अपराध, नफ़रत अपराध हो सकता है। नफ़रत अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है।

नफ़रत अपराध के उदाहरणों में वे भी शामिल हैं जहां कोई व्यक्ति:

- एक मस्जिद में इसलामि तोड़फोड़ करता है क्योंकि वह मुस्लिम लोगों के वरिधी है
- एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ आपत्तजनक भाषा का उपयोग करता है क्योंकि वह बूढ़े लोगों से नफ़रत करता है
- यहूदी लोगों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से हंसा का आग्रह करने के लिए एक ऑनलाइन मंच का उपयोग करता है क्योंकि वह यहूदियों के खिलाफ है

नफ़रत अपराध कहीं भी हो सकता है - सार्वजनिक परिवहन पर, गली में, घर पर, ऑनलाइन या काम पर। नफ़रत अपराध किसी अजनबी या आपके किसी परिचित द्वारा किया जा सकता है। आप नफ़रत अपराध के खिलाफ कार्टवाई कर सकते हैं। NSW में, आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। या आप किसी समुदाय या मानवाधिकार संगठन को नफ़रत अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं।

नफ़रत कब अपराध होती है?

हमारे कानूनी अनुभाग [hatecrime.com.au](https://www.hatecrime.com.au) में
नफ़रत अपराध के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें